

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 134014

पटना, दिनांक 31/12/12

ग्रा0वि06 (SGSY/NRLM)10/12

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त
पूर्णिया ।


विषय :- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में विशेष परियोजना के अंतर्गत जे0के0 ट्रस्ट ग्राम विकास योजना द्वारा क्रियान्वित छः जिलों यथा अररिया, कटिहार, किशनगज, पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल में स्थापित ILDC केन्द्रों के लिए अनुसूचितजाति के लिए विशेष घटक योजना मद में विमुक्त तृतीय किस्त केन्द्रांश की राशि रूपये- 56.1034 लाख (छप्पन लाख दस हजार तीन सौ चालीस) के विरुद्ध देय अनुपातिक सहायक अनुदान की राशि के रूप में कुल 18.70 लाख (अठारह लाख सत्तर हजार) की राशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- 132424 दि0- 13.12.2012
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-J.17014/03/2006-SGSY-II(SP) दिनांक-30.05.12 द्वारा विशेष परियोजना के अंतर्गत जे0के0 ट्रस्ट ग्राम विकास योजना द्वारा क्रियान्वित छः जिलों यथा अररिया, कटिहार, किशनगज, पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल में स्थापित ILDC केन्द्रों के लिए अनुसूचितजाति के लिए विशेष घटक योजना मद में विमुक्त तृतीय किस्त केन्द्रांश की राशि रूपये- 56.1034 लाख (छप्पन लाख दस हजार तीन सौ चालीस) के विरुद्ध देय अनुपातिक सहायक अनुदान की राशि के रूप में कुल 18.70 लाख (अठारह लाख सत्तर हजार) की राशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटित की जाती है ।

2. राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-132424 दिनांक- 13.12.2012 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है ।
3. आवंटित राशि मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789- अनुसूचितजाति के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, विपत्र कोड-पी-2501067890101, विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान बेतनादि के अलावे के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकल्पनीय है।
4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप विकास आयुक्त, पूर्णिया होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी ।
5. यह आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561वि.(2) दि0-17.04.98 एवं पत्रांक-159वि. दि0-20.03.09 की कंडिका-2 में निहित निदेशों एवं शर्तों का अनुपालन कर निर्गत किया जा रहा है ।
6. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि0(2) दि.-17.04.98 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान को विभागीय पत्रांक-3873 दिनांक-12.04.06 द्वारा प्रभावहीन किये जाने के फलस्वरूप आवंटित राशि की एक मुश्त अग्रिम निकासी कर व्यय करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है । राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-8593 दिनांक-17.11.07 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार की जायेगी ।

7. संबंधित उप विकास आयुक्त से अनुरोध है कि आवंटित राशि की निकासी कर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शनों के अधीन राशि का व्यय कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक आने वाले माह की 5वीं तारीख तक विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध करावें एवं ए.सी. बिल से निकासी की गई राशि के विरुद्ध डी.सी. बिल कोषागार एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले०हक०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन


(अजय कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव
